"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2016 — माघ 9, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक 979/281/21-ब/छ.ग./16 .— आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सिखों के बीच रूढ़िजन्य विवाह कर्म (जिसे सामान्यत: आनन्द कारज के रुप में जाना जाता है) के पंजीयन के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ आनन्द विवाह पंजीयन नियम, 2016 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें.

2. **परिभाषायें-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7);

   (ख) "आनन्द विवाह" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित आनन्द विवाह जिसे सामान्यत: आनन्द कारज के रुप में जाना जाता है;

   (ग) "जिला पंजीयन" से अभिप्रेत है नियम 3 के अधीन प्राधिकृत जिला पंजीयक;

   (घ) "प्ररुप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररुप;

   (ङ) "पंजी" से अभिप्रेत है प्ररुप-एक में पंजीयक द्वारा संधारित आनन्द विवाह की पंजी;

   (च) "पंजीयक" से अभिप्रेत है नियम 3 के अधीन प्राधिकृत विवाह पंजीयक.

3. **विवाह के पंजीयन हेतु प्राधिकार-** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के अधीन विवाह के पंजीयन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित के रुप में कार्य करने के लिये अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगी,-

(क) जिले के लिये जिला पंजीयक, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो; और

(ख) क्षेत्रों के लिये विवाह पंजीयक, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो.

4. **अधिकारिता-** आनन्द विवाह का पंजीयन ऐसे पंजीयक, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसा विवाह अनुष्ठापित किया गया हो, के द्वारा किया जायेगा.

5. **विवाह की पंजी का संधारण-** पंजीयक, प्ररुप-एक में आनन्द विवाह की पंजी का संधारण करेगा.

6. **पंजीयन हेतु प्रक्रिया-** (1) आनन्द विवाह के पक्षकार, पंजीयक की संतुष्टि हेतु विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करने के लिये प्ररुप-दो में दो प्रतियों में ज्ञापन और दस्तावेज तैयार करेंगे तथा उनके विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर पचास रुपये के पंजीयन शुल्क के साथ उसे पंजीयक को प्रस्तुत करेंगे :

परन्तु यह कि इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व अनुष्ठापित विवाह के पंजीयन के लिये, उक्त ज्ञापन ओर दस्तावेजों को इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर शुल्क के साथ प्रस्तुत करेंगे.

(2) विवाह के दोनों पक्षकार द्वारा ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जायेंगे और उसमें कम से कम दो अन्य व्यक्ति, जो विवाह में साक्षी रहे हों, के हस्ताक्षर भी होंगे.

(3) विवाह के पक्षकार, जिन्होंने उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपने विवाह का पंजीयन नहीं कराया हो, पंजीयक की संतुष्टि हेतु विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करने के लिये, पंजीयक को प्ररुप-दो में ज्ञापन तथा प्ररुप-तीन में घोषणापत्र, दस्तावेजों सहित एवं दो सौ रुपये के पंजीयन शुल्क प्रस्तुत कर अपने विवाह का पंजीयन करा सकेंगे :

परन्तु यह कि ऐसे घोषणापत्र को राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या स्थानीय स्वशासी संस्थान के सभासद अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा.

7. **विवाह का सत्यापन एवं पंजीयन-** (1) नियम 6 के उप-नियम (1) या उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त ज्ञापन एवं दस्तावेजों के सत्यापन एवं समीक्षा करने के पश्चात्, पंजीयक का समाधान हो जाये कि विवाह अनुष्ठापित किया गया है तो वह पंजी में विवाह की विशिष्टयां प्रविष्ट कर सकेगा और प्ररुप-चार में आनन्द विवाह का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा.

(2) यदि पंजीयक का यह विश्वास करने का कारण हो कि,-

(क) पक्षकारों के मध्य विवाह, आनन्द विवाह कर्म के अनुसार नहीं किया गया है; या

(ख) पक्षकारों तथा विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करने वाले साक्षियों के मध्य पहचान स्थापित नही है; या

(ग) उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से पक्षकारों की वैवाहिक प्रास्थिति प्रमाणित नहीं होता है.

तो वह, ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर, ऐसी और जानकारी या दस्तावेज, जैसा कि वह पक्षकारों और साक्षियों की पहचान स्थापित करने के लिये अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत जानकारी या दस्तावेजों की सत्यता के लिये आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने हेतु पक्षकारों को कह सकेगा.

8. **आनन्द विवाह के पंजीयन करने से इंकार करना-** यदि विवाह के पक्षकार नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन उसके (पंजीयक) द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहते है तो पंजीयक, लिखित में कारणों को अभिलिखित कर, विवाह के पंजीयन करने से इंकार कर सकेगा.

9. **पंजी में की गई प्रविष्टियों में सुधार-** पंजीयक, विवाह के किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, यदि वह संतुष्ट हो कि पंजी में की गई प्रविष्टियों में अथवा नाम, आयु या विवाह की तारीख के संबंध में पंजीयन प्रमाणपत्र पर, टंकण या लिपिकीय त्रुटि है तो जिला पंजीयक की पूर्व स्वीकृति के साथ उपयुक्त सुधार कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक सुधार पर अपना हस्ताक्षर कर सकेगा.

10. **अपील-** (1) पंजीयक के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे निर्णय की संसूचना की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर जिला पंजीयक को अपील कर सकेगा :

परन्तु यह कि जिला पंजीयक, तीन माह की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी के पास उक्त कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है.

(2) जिला पंजीयक, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर अपील का निराकरण करेगा.

11. **ज्ञापन का दाखिल करना-** (1) पंजीयक, प्रत्येक माह में प्राप्त ज्ञापन की द्वितीय प्रतियों को, प्रत्येक अनुवर्ती माह के 10 तारीख के पूर्व जिला पंजीयक को अग्रेषित करेगा.

(2) पंजीयक द्वारा प्राप्त ज्ञापन की मूल प्रति तथा जिला पंजीयक को अग्रेषित द्वितीय प्रति को उनके कार्यालय में रखा जायेगा.

(3) पंजीयक, नियम 9 के अधीन किये गये सुधार की विशिष्टियों को सुधार की तारीख एवं उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, जिला पंजीयक को अग्रेषित करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

प्ररुप—एक

(नियम 5 देखिये)

आनन्द विवाह का पंजी

1. विवाह की तारीखः

2.विवाह का स्थानः (सभामण्डप, सभागार आदि का उल्लेख करे)	स्थानीय क्षेत्र	ग्राम	तालुका	जिला

पति के हस्ताक्षर

पति का फोटो चस्पा करे	पत्नी का फोटो चस्पा करे

पत्नी का हस्ताक्षर

3. विवाह के पक्षकारों का विवरण (जैसा कि विवाह की तारीख पर हो)

विवरण	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) जन्म की तारीख एवं आयु (पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करें)		
(घ) स्थायी पता		
(ड.) वर्तमान पता		
* (च) पूर्वगामी वैवाहिक प्रास्थिति विवाहित अविवाहित विधुर विधवा तलाकशुदा		
(छ) क्या पति/पत्नी जीवित है (यदि हां, तो जीवित पति/पत्नी की संख्या)		
(ज) पिता या पालक तथा रिश्तेदार का नाम (एक) आयु (दो) पता		
(झ) माता का नाम (एक) आयु (दो) पता		

*जो प्रयोज्य हो चिन्हांकित ( ) करें

4. विवाह के अनुष्ठान के साक्षी

1. (क) नामः
   (ख) पताः

2. (क) नामः
   (ख) पताः

कार्यालयीन उपयोग हेतु

5. ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख..

6. विवाह के दस्तावेज/अभिलेख/प्रमाण, जो नियम 6 के अधीन अपेक्षित हो, का विवरण

तारीख :

पंजीयक

पंजीयन क्र. /(वर्ष)

तारीख.................

पंजीयक

प्ररुप–दो

(नियम 6 (1) देखिये)

आनन्द विवाह के पंजीयन के लिये ज्ञापन

1. विवाह की तारीखः

2.विवाह का स्थानः (सभामण्डप, सभागार आदि का उल्लेख करे)	स्थानीय क्षेत्र	ग्राम	तालुका	जिला

3. विवाह के पक्षकारों का विवरण (जैसा कि विवाह की तारीख पर हो)

विवरण	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) जन्म की तारीख एवं आयु (पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करें)		
(घ) स्थायी पता		
(ड.) वर्तमान पता		
* (च) पूर्वगामी वैवाहिक प्रास्थिति विवाहित अविवाहित विधुर विधवा तलाकशुदा		
(छ) क्या पति/पत्नी जीवित है (यदि हां, तो जीवित पति/पत्नी की संख्या)		
(ज) पिता का नाम (एक) आयु (दो) पता हस्ताक्षर तारीख सहित (यदि वह सहमत पक्षकार है)		
(झ) माता का नाम (एक) आयु (दो) पता हस्ताक्षर तारीख सहित (यदि वह सहमत पक्षकार है)		

*जो प्रयोज्य हो चिन्हांकित ( ) करें

4. विवाह के अनुष्ठान के साक्षी

1. (क) नामः
   (ख) पताः
   (ग) हस्ताक्षर तारीख सहित

2. (क) नामः

(ख) पताः

(ग) हस्ताक्षर तारीख सहित

5. विवाह के दस्तावेज/अभिलेख/प्रमाण, जो नियम 6 के अधीन अपेक्षित हो, का विवरण

पक्षकारों की घोषणा

हम ....एतद्द्वारा घोषणा करते है कि उपरोक्त दर्शित विवरण, हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सही है ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

स्थानः तारीखः	1. पति 2. पत्नी

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

....ड़ाक द्वारा/व्यक्तिगत रुप से प्राप्त

पंजीयक

पंजीयन कमांक ....

के रुप में ....पर विवाह पंजीयक (सामान्य) में पंजीकृत

पंजीयक

प्ररुप–तीन

(नियम 6 (3) देखिये)

घोषणा

हम.. (पति एवं पत्नी का नाम) एतद्द्वारा घोषणा करते है कि हमारा विवाह, दिनांक ....(विवाह की तिथि) को...(विवाह का स्थान) में अनुष्ठापित हुआ था। .... (कारणों का उल्लेख करें) के कारण विवाह के पंजीयन का ज्ञापन, नियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत नही कर सके। हम एतद्द्वारा विवाह के पंजीयन के प्रयोजन के लिए विवाह के अनुष्ठान को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेजों सहित ज्ञापन (प्ररूप–दो) प्रस्तुत कर रहें हैं ।

स्थानः

तारीखः

पति का हस्ताक्षर पत्नी का हस्ताक्षर

घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/स्थानीय स्वशासी संस्थान के सदस्य द्वारा सत्यापित किया जायेगा

मैं ....एतद्द्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि .... एवं ... .के बीच विवाह ....पर अनुष्ठापित किया गया था तथा मैं इस तथ्य को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ ।

हस्ताक्षर, स्थान, दिनांक एवं सील सहित

प्ररुप—चार
(नियम 7 देखिये)

.........................शासन
.........................विभाग

विवाह का प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र कमांक.................................
तारीख ....

यह सत्यापित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना, ...(स्थानीय क्षेत्र) के पंजीयक के कार्यालय में, प्ररुप—एक में, संधारित आनन्द विवाह पंजी से लिया गया है ।

1. विवाह की तारीखः...
2. विवाह का स्थानः .... (जैसा कि प्ररुप—एक में है)
3. विवाह के पक्षकारों का विवरण

विवरण	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) जन्म की तारीख एवं आयु		
(घ) व्यवसाय		
(ड.) स्थायी पता		
(च) पिता या पालक तथा रिश्तेदार का नाम (एक) पिता (दो) माता (तीन) पालक		
फोटोग्राफ (फोटोग्राफ पर कार्यालयीन मुद्रा)		

पंजीयन कमांक वर्ष सहित.................................
पंजीयन की तारीख ....

पंजीयक
(स्थानीय क्षेत्र का नाम)

....................दिन................माह..................वर्ष पर मेरे हस्ते एवं मुद्रा से जारी किया गया है ।

Naya Raipur, the 29th January 2016

NOTIFICATION

No. 979/281/XXI-B/C.G./16.— In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Anand Marriage Act, 1909 (No. 7 of 1909), the State Government, hereby, makes the following rules relating to registration of Marriage Ceremony (Commonly known as Anand Karaj) customary among Sikhs, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Anand Marriages Registration Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force on such date as the State Goverment may by notification in the Official Gazette appoints.

2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909);

(b) "Anand Marriage" means Anand Marriage commonly known as Anand Karaj, solemnized under the Act;

(c) "District Registrar" means the District Registrar authorised under rule 3;

(d) "Form" means the Form Appended to these rules;

(e) "Register" means a register of Anand Marriages maintained by the Registrar in Form-I;

(f) "Registrar" means the Registrar of Marriages authorised under rule 3.

3. **Authorisation for registration of marriages** - The State Government may, by notification, authorize officers, for the purpose of registration of marriages under the Act, to also act as,-

(a) District Registrar for the district, specified in that notification; and

(b) a Registrar of marriages for the areas, specified in that notification.

4. **Jurisdiction** - The Anand Marriage shall be registered with the Registrar within whose jurisdiction such marriage is solemnized.

5. **Maintenance of register of marriages** - The Registrar shall maintain Register of Anand Marriages in Form-I.

6. **Procedure for registration** - (1) The parties to the Anand Marriage shall prepare a memorandum in duplicate in Form-II along with documents, to prove the solemnization of the marriage to the satisfaction of the Registrar, and submit it to the Registrar along with registration fee of rupees fifty within a period of thirty days from the date of solemnization of their marriage:

Provided that for registration of marriages solemnised before the commencement of these rules, said memorandum and documents shall be submitted along with the fee within a period of one year from the date of commencement of these rules.

(2) The memorandum shall be signed by both the parties to the marriage and shall have singature of at least two other persons who have witnessed the marriage.

(3) The parties to the marriage, who have not registered their marriage within the period specified under sub-rule (1) may get their, marriage registered by submitting the memorandum to the Registrar in Form-II and a Declaration in Form-III along with documents, to prove the solemnization of the marriage to the satisfaction of the Registrar, and registration fee of rupees two hundred:

Provided that such Declaration shall be attested by a Gazetted Officer or Member of Parliament of Member of Legislative Assembly or Councillor of a Local Self Government Institution or Notary.

7. **Verification and registration of marriage -** (1) Where on verification and scrutiny of the memorandum and documents received under sub-rule (1) or sub-rule (3) of rule 6, the Registrar is satisfied that the marriage has been solemnised, he may enter the particulars of the marriage in the register and issue a Certificate of Anand Marriage in Form-IV.

(2) If the Registrar has reasons to believe that,-

(a) the marriage between the parties has not been performed in accordance with Anand Marriage ceremony; or

(b) the identity of the parties or the witnesses testifying the solemnization of the marriage is not established; or

(c) the documents tendered before him do not prove the marital status of the parties.

then he may, call upon the parties to produce such further information or documents as he may deem necessary, for establishing the identity of the parties and the witnesses or correctness of the information or documents presented to him within a period of thirty days from date of receipt of memorandum.

8. **Refusal of registration of anand marriage -** The Registrar may, for the reasons to be recorded in writing refuse the registration of marriage, if the parties to the marriage fail to comply with the direction issued by him under sub-rule (2) of rule 7.

9. **Correction of the entries in the register -** The Registrar may, on an application made to him by any party to the marriage, if satisfied that there is typographical or clerical mistakes in the entries made in the register or on the Certificate of Registration in relation to the name, age or date of marriage, make suitable corrections with previous sanction of the District Registrar and affix his signature to each such correction.

10. **Appeal -** (1) Any person aggrieved by the decision of the Registrar may file an appeal to the District Registrar within a period of three months from the date of communication of such decision :

Provided that the District Registrar may entertain an appeal made to it after the expiry of the said period of three months if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(2) The District Registrar shall, after giving opportunity of hearing to the parties concerned, dispose of the appeal within a period of fifteen days.

11. **Filing of Memorandum -** (1) The Registrar shall forward duplicate copies of the memorandum received in a month to the district Registrar before the 10th day of every subsequent month.

(2) The original of the memorandum received by the Registrar and duplicate copies forwarded to the District Registrar shall be retained in their offices.

(3) The Registrar shall also forward particulars of the corrections made under rule 9 with the date of correction and a copy thereof to the District Registrar.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR HOTA, Additional Secretary.

FORM-I

[*See* Rule 5]

REGISTER OF ANAND MARRIAGES

1. Date of Marriage:

2. Place of Marriage: (specify hall, auditorium etc.)	Local area	Village	Taluk	District

Signature of the Husband

Photo of the Husband to be affixed	Photo of the Wife to be affixed

Signature of the wife

3. Details of Parties to the Marriage (As on the date of marriage)

Details	*Husband*	*Wife*
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth (sufficient proof shall be produced)		
(d) Permanent address		
(e) Present address		
*(f) Previous marital status Married Unmarried Widower		

Widow Divorced		
(g) Whether any spouse is living (if yes, number of spouse living)		
(h) Name of father or guardian and the relationship (i) Age (ii) Address		
(i) Name of mother (i) Age (ii) Address		

*Put ( ) mark on whichever is applicable.

4. Witness of solemnization of marriage

1. (a) Name:

(b) Address

2. (a) Name:

(b) Address

SPACE FOR OFFICE USE

5. Date of Receipt of memorandum..
6. Details of Documents/records/proof of marriage required under rule 6:

Date:
Registrar

Registration No. / (Year)

Date.................................
Registrar

FORM-II

[*See* Rule 6(1)]

MEMORANDUM FOR REGISTRATION OF ANAND MARRIAGE

1. Date of Marriage:

2. Place of Marriage: (specify hall, Auditorium, etc.)	Local area	Village	Taluk	District

3. Details of Parties to the Marriage (As on the date of marriage)

Details	*Husband*	*Wife*
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth (sufficient proof shall be produced)		
(d) Permanent address		
(e) Present address		
*(f) Previous marital status Married Unmarried Widower Widow Divorced		
(g) Whether any spouse is living (if yes, number of spouse living) Signature with date		
(h) Name of father (i) Age (ii) Address Signature with date (if he is a consenting party)		

(i) Name of mother (i) Age (ii) Address Signature with date (if she is a consenting party)		

*Put ( ) mark on whichever is applicable.

4. Witness of solemnization of marriage

1. (a) Name:

   (b) Address

   (c) Signature with date

2. (a) Name:

   (b) Address

   (c) Signature with date

5. Details of Documents/records/proof of marriage required under rule 6:

Declaration of the Parties

We ....do hereby declare that the details shown above are true to the best of our knowledge and belief.

Signature of the Parties:

Place:	1. Husband
Date:	2. Wife

(For Office Use)

Received by Post/in Person on..

Registrar

Registered in the Registrar of Marriages (Common) on...
....as Regn. No. ....

Registrar

FORM No. III

[*See* Rule 6(3)]

DECLARATION

We,--------------------------(Name of the husband and wife) do hereby declare that our marriage was solemnized on --------- (Date of Marriage) at ------------------ (place of marriage. The memorandum for registration of marriage could not be submitted within the period specified under rule 6 due to -------- (specify reason). We hereby submit memorandum (Form-II) along with documents to prove the solemnization of the marriage for the purpose of registration of our marriage.

Place:
Date

Signature of husband Signature of wife

DECLARATION TO BE ATTESTED BY GAZETTED OFFICER/MEMBER OF PARLIAMENT/MEMBER OF LEGISLATIVE ASSEMBLY/MEMEBER OF LOCAL SELF GOVERNMENT INSTITUTIONS

I.. hereby certify that the marriage between ....and..was solemnized on.............................. and the fact is personally known to me.

Signature with place, date and seal

FORM NO. IV

(*See* rule 7)

GOVERNMENT OF..............................

Department of..

CERTIFICATE OF MARRIAGE

Certificate No. ....

Dated..........................

This is to certify that the following information has been taken from the Register of Anand Marriages maintained in Form No. I in the Office of the Registrar of... (local area).

1. Date of Marriage...

2. Place of Marriage.. (as in Form No. I)

3. Details of parties to the marriage

Details	*Husband*	*Wife*
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth		
(d) Occupation		
(e) Permanent address		
(f)Name of parents or guardian and the relationship (i) Father		

(ii) Mother (iii)Guardian		
Photographs: (Office seal covering photographs)		

Registration No. with year...

Date of Registration...

Registrar
(Name of Local Area)

Issued under my hand and seal on this the ....day of.......................................

****

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.